भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †2710

दिनांक 04/08/2026 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

†2710. श्री जी. लक्ष्मीनारायणः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत दंडित, सूची से बाहर किए गए या काली सूची में डाले गए अभिकरणों, संस्थानों या बेंडर/विक्रेताओं की राज्य-वार संख्या कितनी है?

(ख) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत उपस्थिति और धन के उपयोग के सत्यापन के लिए कौन-सी प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक स्वस्रोत राजस्व (ओएसआर) का सृजन करने वाली ग्राम पंचायतों का राज्यवार तथा विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में जिलावार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के संबंध में कोई आकलन किया गया है यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) ग्राम पंचायत परिसंपत्तियों और अवसंरचना परियोजनाओं की जियो-टैग की गई निगरानी की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) पंचायत, "स्थानीय स्वशासन" होने के नाते, राज्य का विषय है। हालांकि, पंचायती राज मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत किसी भी एजेंसी, संस्था या विक्रेता को दंडित नहीं किया गया है, न ही उन्हें पैनल से हटाया गया है और न ही ब्लैकलिस्ट किया गया है।

(ख) संशोधित आरजीएसए के तहत क्षमता निर्माण की गतिविधियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की वास्तविक समय में निगरानी हेतु एक समर्पित प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) विकसित किया है। इस प्रणाली में आधार-प्रमाणित/बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प वाली प्रशिक्षण तस्वीरों को वास्तविक समय में अपलोड करना और प्रशिक्षण भागीदारी की निगरानी और डुप्लिकेट या प्रॉक्सी उपस्थिति को रोकने के लिए विशिष्ट प्रतिभागी आईडी मैपिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

इसके अलावा, आरजीएसए योजना के तहत धनराशि का उपयोग एक मजबूत वित्तीय निगरानी रूपरेखा के माध्यम से वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों द्वारा सख्ती से शासित किया जाता है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के तहत एकल नोडल एजेंसी (एसएनए/एसएनए-स्पर्श) मॉडल के तहत वास्तविक समय में निधि को जारी और ट्रैक किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अव्ययित शेष राशि का उचित लेखांकन करने के बाद ही आगे की धनराशि जारी की जाए। इसके अतिरिक्त, आगामी किस्त जारी करना उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी), लेखापरीक्षित खातों और त्रैमासिक/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर/एपीआर) प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है।

(ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ज के अनुसार, राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, पंचायत को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन कर, शुल्क, टोल और फीस लगाने, उसे एकत्र करने और विनियोजित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। इस प्रकार, यह मंत्रालय आंध्र प्रदेश सहित राज्यों में ग्राम पंचायतों (जीपी) द्वारा स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) को जुटाने की जिला-वार स्थिति का रिकॉर्ड नहीं रखता है और न ही इसकी निगरानी

करता है। हालाँकि, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक सृजित ओएसआर का जिला-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(घ) जी हाँ, आरजीएसए क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करने और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के उद्देश्य से ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद (आईआरएमए) के माध्यम से संशोधित आरजीएसए का एक बाह्य मूल्यांकन किया गया है। इसके अलावा, नीति आयोग ने परिणामों पर पूरक साक्ष्य प्रदान करने के लिए आरजीएसए का एक स्वतंत्र मूल्यांकन कराया है। इस मूल्यांकन से पता चलता है कि क्लासरूम/विषयगत मॉड्यूल, एक्सपोजर दौरा और डिजिटल शिक्षण के माध्यम से संरचित, बहु-स्तरीय क्षमता-निर्माण ने पंचायत संचालन, योजना और कार्यान्वयन (जीपीडीपी सहित), डिजिटल शासन, नागरिक सहभागिता और वित्तीय प्रबंधन में पीआरआई की क्षमताओं को बढ़ाया है। प्रशिक्षण के बाद किए गए आकलनों से ज्ञान और व्यवहार में मापनीय सुधार दर्ज किए गए हैं, जिससे स्थानीय शासन को अधिक प्रभावी बनाने तथा सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण को बढ़ावा मिला है।

(ङ) पंचायती राज मंत्रालय एम-एक्शन-सॉफ्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्राम पंचायत परिसंपत्तियों और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की जियो-टैग की गई निगरानी की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। एप्लिकेशन में केवल वास्तविक समय (रियल-टाइम) में फोटो कैप्चर करने की सुविधा उपलब्ध है तथा गैलरी में पहले से उपलब्ध फोटो को अपलोड करने की अनुमति नहीं है। यह स्वचालित रूप से प्रत्येक फ़ोटो के साथ टेम्पर-प्रूफ़ जीपीएस निर्देशांक और टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड करता है और निष्पादन के तीन स्तरों अर्थात् शुरुआत से पहले, प्रगति के दौरान और कार्य पूरा होने के बाद में परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग की सुविधा प्रदान करता है। जियो-टैग की गई तस्वीरों को ईग्रामस्वराज में संबंधित परिसंपत्ति/कार्य के साथ जोड़ा जाता है, जिससे प्रभावी निगरानी और सत्यापन संभव हो पाता है।

अनुलग्नक-I

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या †**2710**, जिसका उत्तर दिनांक **04/08/2026** को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

वित्तीय वर्ष **2023-24** से **2025-26** के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में स्वयं के राजस्व स्रोत के सृजन का जिलावार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं	**जिला**	**प्रति जिला ग्राम पंचायतों की संख्या**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
			संग्रहण	संग्रहण	संग्रहण
1	अल्लूरी सीतारमा राजू	244	9.37	8.45	6.55
2	अनकापल्ली	646	25.3	30.22	45.72
3	अनंतपुरमु	576	10.5	18.52	20.12
4	अन्नमय्या	411	14.06	17.82	19.74
5	बापतला	358	24.8	39.12	39
6	चित्तूर	622	17.79	21.34	23.73
7	डॉ.बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा	342	44.53	45.32	42.32
8	पूर्वी गोदावरी	342	50.35	83	101.3
9	एलुरु	547	40.63	66.67	61.28
10	गुंटूर	258	26.38	39.91	48.01
11	काकीनाडा	385	43.89	46.22	65.64
12	कृष्णा	491	41.15	66.83	77.7
13	कुरनूल	484	15.05	19.57	25.02

14	मार्कापुरम*	406	-	-	13.59
15	नांदयाल	489	10.41	12.89	17.17
16	एनटीआर	288	34.33	38.18	51.73
17	पालनाडु	527	16.36	22.77	30.86
18	पार्वतीपुरम मान्यम	451	4.54	4.11	5.41
19	पोलावरम*	186	-	-	5.54
20	प्रकाशम	519	27.93	27.12	35.15
21	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	700	27.58	26.76	37.75
22	श्री सत्य साई	467	14.07	15.82	18.23
23	श्रीकाकुलम	912	15.77	25.34	28.13
24	तिरुपति	807	28.76	44.01	70.35
25	विशाखापट्टनम	79	5.6	7.66	11.22
26	विजयनगरम	777	14.84	19.58	28.21
27	पश्चिम गोदावरी	393	35.99	52.41	62.88
28	वाई.एस.आर. कडपा	619	17.42	19.61	23.47
	कुल योग	**13,326**	**617.4**	**819.25**	**1015.82**

* आंध्र प्रदेश में पोलावरम और मार्कापुरम जिले आधिकारिक तौर पर **31 दिसंबर, 2025** को अस्तित्व में आए। पोलावरम जिले को अल्लूरी सीताराम राजू (एएसआर) जिले से अलग कर दिया गया था, जबकि आंध्र प्रदेश में प्रकाशम और श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर मार्कापुरम जिले का निर्माण किया गया था।

नोट: वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान सीमा स्तर (थ्रेशोल्ड लेवल) पर नहीं सौंपा/लागू किया गया है।
